बिहार सरकार

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पैक्सों/अन्य सहकारी समितियों के अंकेक्षण संबंधी सूचना

बिहार राज्य के सभी पैक्सों सहित अन्य सभी प्रकार की सहकारी समितियों के वर्ष 2015–16 तक के लेखाओं का वैद्यानिक अंकेक्षण विभागीय अंकेक्षकों अथवा विभाग में सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों से कराया जाना है। विभागीय समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया गया कि अधिकांश पैक्सों सहित अन्य सभी प्रकार की समितियों के वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अन्दर नियमानुसार नहीं कराया गया है।

सहकारी समितियों के अध्यक्षगण अवगत हैं, कि सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अन्दर कराया जाना उनका वैधानिक दायित्व है। अतः वैसे पैक्स/सहकारी समिति जिनका वर्ष 2015–16 तक का अंकेक्षण लम्बित है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी समितियों का अभिलेख अद्यतन कराकर अपने क्षेत्र के सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को सूचित करें एवं अनिवार्य रूप से दिनांक–15.05.2017 तक अंकेक्षण सम्पन्न करा लें।

साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है, कि समिति के अध्यक्ष यदि दिनांक–15.05.2017 तक अभिलेख अद्यतन करके संबंधित पदाधिकारियों को अंकेक्षण हेतु सूचित नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के सुसंगत धाराओं के अधीन वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा, जिससे वे व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये जा रहे वित्तीय लाभ से वंचित हो जायेंगे एवं समिति के अगले निर्वाचन में उनकी उम्मीदवारी भी प्रभावित होगीं।

इसे विभागीय वेबसाइट www.cooperative.bih.in. पर भी देखा जा सकता हैं।

06/05/17

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।